



(FORMELY KNOWN AS PREM SOMANI FINANCIAL SERVICES LIMITED)
CIN: -L72100RJ1991PLC006220
(Incorporated under the Companies Act, 1956)
Contact No. 9322666532, Email Id: aceengitechlimited@gmail.com
Website: <https://www.aceengitech.com>

Date: February 18, 2025

To,

**BSE Limited,
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai – 400 001 (Maharashtra)**

Ref.: ACE ENGITECH LIMITED (ERSTWHILE PREM SOMANI FINANCIAL SERVICES LIMITED), Scrip Code: 530669, Security ID: ACEENGITEC.

Sub.: Newspapers publication -Notice to Shareholders for Postal Ballot

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we enclose herewith a newspaper clipping in connection with the notice of Postal Ballot, published in the newspapers viz. The Indian Express (English) and Mridul Patrika (Hindi) on February 18, 2025 confirming dispatch of notice of Postal Ballot and providing other information, pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder.

This is for your information and record.

Yours faithfully,

**FOR ACE ENGITECH LIMITED
(ERSTWHILE PREM SOMANI FINANCIAL SERVICES LIMITED)**

**Ankita Agarwal
Company Secretary & Compliance officer
Membership No.: -A-33873**

Email: aceengitechlimited@gmail.com

Enclosures: A/a

Aadhar Housing Finance Ltd. Corporate Office: 302, Natraj By Rustomjee, Western Express Highway, Sir M.V. Road, Andheri East, Mumbai-400069, Maharashtra. Property for sale under provisions of SARFAESI Act, 2002 through private treaty.

SHIVALIK SMALL FINANCE BANK LTD. Registered Office: 501, Salcon Aarum, Jasola District Centre, New Delhi - 110025. Notice regarding the auction of secured assets.

Central Bank of India Branch Office: RAMGANJMANDI, Dist. Kota -326519 (RAJ). E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Properties Date 10.03.2025.

Finova Capital Pvt Ltd 702, Seventh Floor, Unique Aspire, Plot No 13-14 Cosmo Colony, Amrapali Marg, Vaishali Nagar, Jaipur - 302021, Rajasthan. Appendix-IV-A Sale notice for immovable properties.

TATA CAPITAL LIMITED Registered Office: 11th Floor, Tower A, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. Public Notice for Closure & Shifting of Branch.

AAVAS FINANCIERS LIMITED (CIN:L65922RJ2011PLCO34297) Regd. & Corp. Office: 201-202, 2nd Floor, South End Square, Mansarovar Industrial Area, Jaipur. 302020. Possession Notice.

Ace Engitech Limited (ERSTWALE PREEM SOFOMAN FINANCIAL SERVICES LIMITED) DIN: L2710R19919PLC00820. Notice of Postal Ballot and E-Voting Information.

IMPORTANT What can be seen prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage caused as a result of transactions with companies, associations or individuals appearing in its newspaper or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any money or entering into any agreement with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

चेक अनादरण मामले में आरोपी गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल




जमवारागढ़ (मृदुल पत्रिका)। पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण आनन्द शर्मा ने जानकारी देते हुये बताया की जिला जयपुर ग्रामीण में वाछित अपराधियों की अधिकाधिक गिरफ्तारी हेतु रजनीश पूनिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय जयपुर ग्रामीण के निकट सुराविजन मे एवं प्रदीप यादव सीओ वृत्त जमवारागढ़ के निर्देशन तथा रामपाल शर्मा उप निरीक्षक एवं धानाधिकारी पुलिस थाना जमवारागढ़ के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। पुलिस टीम द्वारा विशिष्ट न्यायाधिश जयपुर बम बलास्ट केसेज जयपुर महानगर 2 द्वारा 138 एनआईएफ्ट में जारी गिरफ्तारी वारंट गोपाल लाल मीणा पुत्र नेहरुराम मीणा निवासी रामपुरा वाला रामगढ़ थाना जमवारागढ़ जिला जयपुर ग्रामीण को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया जहां से कोर्ट ने अभियुक्त गोपाल मीणा को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवाया गया।

गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए कटें पानी आपूर्ति की व्यवस्थाएं: जिला कलक्टर



झुंझुनू (मृदुल पत्रिका)। जिला कलक्टर रामवतार मीणा ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे उच्च अधिकारियों से वार्ता कर मलसीसर डेम में पानी की आवक को बढ़ाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आगामी दिवसों में गर्मी के मौसम को देखते हुए डेम में पानी का स्टोक भी व्यापक रखें। उन्होंने सीएमएचओ को एनिमिया डीजीज के बचाव के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने तथा कैम्प लगाकर स्कूलों बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की हिमोग्लोबिन जांच करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए जिला कलक्टर ने पीएम कुसुम योजना की प्रगति को बढ़ाने के निर्देश देते हुए कहा कि इसका प्रचार प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सकें। उन्होंने जिला रसद अधिकारी को खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों का नाम जोड़ने तथा अपात्र लोगों का नाम हटाने के निर्देश दिए। बैठक में महिला अधिकारिता विभाग के उप निदेशक विप्लव न्यौला, उप रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग विभा खेतान, सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर, जिला परिवहन अधिकारी डॉ. मन्खन लाल जांगिड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक पवन पुनियां, जलदाय विभाग के राजपाल सहित संबन्धित विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

5 दिवसीय शिव पार्वती विवाह महोत्सव 22 फरवरी से



अलवर (युवराज शर्मा/मृदुल पत्रिका)। अलवर एकलिंग महादेव मंदिर का अलवर में 5 दिवसीय शिव पार्वती विवाह महोत्सव 22 फरवरी से 26 फरवरी तक धूमधाम से मनाया जाएगा। शिव पार्वती परिवार के महंत पुंकर नारायण त्रिवेदी ने बताया कि 5 दिवसीय शिव पार्वती विवाह महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत 18 फरवरी मंगलवार को प्रातः 9.15 बजे गणेश गौरी निमंत्रण के साथ होगी। वही कार्यक्रम के तहत 22 फरवरी, शनिवार को लगन सायं 5.15 बजे अन्न मंदिर के सामने श्री नारायण मंदिर से एकलिंग महादेव मंदिर, मन्नी का बड़, 23 फरवरी, रविवार को महाआरती एवं कन्या पूजन सायं 7.15 बजे (एकलिंग महादेव मंदिर, मन्नी का बड़,) 24 फरवरी, सोमवार को किन्नर पूजन एवं भोले बाबा का नगर भ्रमण व कंगन डोरे सायं 5.15 बजे ज्योतिराव फुले सर्किल जय अम्बे मैरिज होम मंदिर परिसर से एकलिंग महादेव मंदिर) 25 फरवरी, मंगलवार को हल्दी, मेहंदी एवं भजन संगीत सायं 6.15 बजे (एकलिंग महादेव मंदिर, मन्नी का बड़) एवं 26 फरवरी, बुधवार को जेगड पूजन प्रातः 9.15 बजे नयाबास बीज गोदाम के सामने (रितुश ब्यूटी पार्सर) से एकलिंग महादेव मंदिर तक एवं बारात माता चुन्नी स्वागत सायं 6.15 बजे घंटाघर शिव मंदिर से एकलिंग महादेव मंदिर में किया जाएगा एवं वरमाला महोत्सव रात्रि 9.15 बजे एकलिंग महादेव मंदिर परिसर में किया जाएगा।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जनसहयोग से बनी वितेकानंद लाइब्रेरी का उद्घाटन



जमवारागढ़ (मृदुल पत्रिका)। उपखण्ड क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रूपवास में जन सहयोग से बनी वितेकानंद लाइब्रेरी का सोमवार को उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी पद पर पदेनतन हनु रामस्वरूप शर्मा का भी अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर समस्त विद्यालय स्टाफ सहित मौजूद रहा।

25 शैक्षणिक इनक्यूबेटर के प्रमुख और विभिन्न संस्थानों के इनोवेशन प्रतिनिधि सहित 25 प्रतिभागी शामिल

व्यावसायिक विचारों के नवाचार और व्यावसायीकरण पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम



पिलानी (मृदुल पत्रिका)। व्यावसायिक विचारों के नवाचार और व्यावसायीकरण पर प्रबंधन विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। एमएसएमई मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल एवं एआईसीटीई, जयपुर की पहल, एएनएमएआईआईटी और बीआईटीएस, पिलानी ज्ञान भागीदार के रूप में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र क्षमता निर्माण और विचारों को बड़े पैमाने पर विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये केंद्र अप्रयुक्त रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने और एमएसएमई में नवीनतम तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देते हैं। ये एमएसएमई को

उन्के विचारों को प्रमाणित करने में मदद करते हैं और डिजाइन, रणनीति एवं निष्पादन समर्थन के माध्यम से अपने व्यवसायों के विस्तार के लिए सक्षम विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, जयपुर कार्यालय, एआईसीटीई इनोवेशन सेंटर, और बिट्स पिलानी-टेक्नोलॉजी एनेबलिंग सेंटर ने एएनएमएआईआईटीएस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से एआईसीटीई इनोवेशन सेंटर, जयपुर में व्यावसायिक विचारों के नवाचार और व्यावसायीकरण पर पांच दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम

का आयोजन किया। राजस्थान के 25 शैक्षणिक इनक्यूबेटर्स के प्रमुखों और विभिन्न संस्थानों के इनोवेशन काउंसिल के प्रतिनिधियों सहित कुल 25 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस एमडीपी का उद्देश्य राजस्थान के इनक्यूबेशन प्रमुखों और प्रबंधकों को व्यावसायिक विचारों को व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधानों में बदलने के लिए आवश्यक उपकरणों और ज्ञान से लैस करना था। बीआईटीएस-पिलानी द्वारा ज्ञान भागीदार के रूप में इस कार्यक्रम को सुचलित रूप से संचालित किया गया था, जिसमें विशेष कार्यक्रमों, प्रस्तुतियों, और उद्योग एवं अकादमिक विशेषज्ञों द्वारा

केस-स्टडी विश्लेषण शामिल थे। इसमें नवाचार प्रबंधन, रणनीतिक योजना, उत्पाद व्यावसायीकरण, और वित्त पोषण तंत्र जैसे विषयों को कवर किया गया। श्री राजनीश कुमार - हेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑफिस, बीआईटीएस पिलानी, एक वक्ता के रूप में अकादमिक इनक्यूबेटर्स की वित्तीय स्थिरता पर चर्चा की। गौरव जोशी जॉइंट डायरेक्टर एवं एचओडी, मिनिस्ट्री ऑफ सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, ने क्षेत्रीय इनक्यूबेटर्स के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान और एक-दूसरे से सीखने के महत्व पर चर्चा की। इस कार्यक्रम का समापन एक इंटरैक्टिव पीयर-टू-पीयर नॉलेंज-शेयरिंग और

नेटवर्किंग सत्र के साथ हुआ, जिससे राजस्थान में नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत किया गया। मुख्य वक्ता एवं विशेषज्ञ गौरव जोशी - संयुक्त निदेशक एवं प्रमुख, एमएसएमई मंत्रालय, दिपन साहू - सहायक नवाचार निदेशक, शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल, एआईसीटीई मुख्यालय, महावीर प्रताप शर्मा - अध्यक्ष, टाई इंडिया एंजल्स और आरएआईएन; बख्शी - पार्टनर इनक्यूबेशन, आईआईएमए वेंचर, स्वता चौधरी - निदेशक, इनोवैक और संसाधन संकाय सचिव, प्रो. रमेश मिश्रा - एएनएमएआईआईटी, रजनीश कुमार-प्रमुख, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कार्यालय, बीआईटीएस पिलानी] डॉ. शोड जैन - एएनएमएआईआईटी] डॉ. अश्वय जैन - निदेशक, विपणन, एमिटी जयपुर शामिल हुये। यह पहल उद्यमशीलता विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को दर्शाती है और भारत को नवाचार, व्यावसायिक विकास, और आर्थिक स्थिरता में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती है।

सीएसआईआर-सीरी में रिफिल कॉन्क्लेव में 19 को राज्यपाल हरिभाऊ बागडे आएंगे

पिलानी (बाबूलाल घोषलिया/ मृदुल पत्रिका)। सीएसआईआर-केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीरी), पिलानी में 19 फरवरी को ESDM Skill Conclave 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस विशेष अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागडे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे। यह कॉन्क्लेव इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन एवं मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में कौशल विकास, अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। इसमें देशभर के शिक्षाविद, उद्योग विशेषज्ञ, स्टार्टअप प्रतिनिधि और शोधकर्ता भाग लेंगे। इस अवसर पर सीरी द्वारा विकसित नवीनतम तकनीकों, उत्पादों और अनुसंधान उपलब्धियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा।



इस अवसर पर राज्यपाल द्वारा अपने संबोधन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रयोगशाला की भूमिका पर प्रकाश डाला जाएगा। संस्थान के निदेशक डॉ पीसी पंचायरिया आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और कौशल विकास में सीरी की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। कार्यक्रम में विभिन्न तकनीकी सत्र, विशेषज्ञ व्याख्यान और उद्योग-शिक्षा सुवाद भी आयोजित किए जाएंगे, जो क्षमता विकास में उन्नत तकनीकों और भविष्य की संभावनाओं पर केंद्रित होंगे।

सीएसआईआर-सीरी, पिलानी इस महत्वपूर्ण आयोजन के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग और शिक्षाविदों के बीच सहयोग को मजबूत करने तथा राष्ट्र निर्माण में अनुसंधान एवं नवाचार की भूमिका को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।

नौगांवा में खड़े ट्रेलर में टैंपो ने मारी टक्कर, 19 लोग घायल

रामगढ़ (अलवर)। नौगांवा थाना क्षेत्र में राजस्थान-हरियाणा के पास दोहा का लॉडिया में सोमवार के शाम फिरोजपुर से नौगांवा जा रहे टैंपो ने टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 15 अन्य को मामूली चोटें आईं। घटना शाम 6 बजे की है, निविदा बंद होने की तारीख व समय से पूर्व आंन लाइन भर है। (1) ई-ट्रेकर नोटिस संख्या: एनडब्ल्यूआर-एससी-सिविल-13641936 (2) कार्य का नाम व लोकेशन: उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में पाकिंग, जलाशय, स्वच्छता कार्य, एफईपीएफ आदि वीसी सुविधाओं के विकास सहित जयपुर क्षेत्र में खेल परिसर और विविध भवन, बार्डरों का निर्माण। (3) अनुभवी लाइन: R394082483.3B/- (4) अनुभवी राशि: ₹21,20,400/- (5) कार्य पूरा होने की अवधि: 15 (पन्द्रह) माह (6) ई-ट्रेकर नोटि की अंतिम तिथि और समय: 05/03/2025 को 15:00 बजे तक (7) वेबसाइट का विवरण: www.irops.gov.in नोट: कोई भी नैसवर्ग ट्रेकर स्वीकर नहीं किया जायेगा। 198-DK25

दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टैंपो आगे खड़े एक अन्य ट्रेलर से जा टकराया और दोनों वाहनों के बीच फंस गया। हादसे के बाद ट्रेलर ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया। घायलों में बंती बाई (50), बबली (24), रसमीना (32), सहवानी (10), शरफाना (7), नजराना (4) और पारस जैन समेत कई लोग शामिल हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को वाहन से निकालकर मांझे खेड़ा नहूँ और नौगांवा अस्पताल में भर्ती कराया गया।

श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर स्वयंपाठी छात्राओं की प्रायोगिक कक्षाएं प्रारम्भ
हिण्डोन सिटी (मृदुल पत्रिका)। स्थानीय श्री अग्रसेन कन्या महाविद्यालय में स्नातक कला और विज्ञान वर्ष प्रथम सेमेस्टर की स्वयंपाठी छात्राओं की सभी प्रायोगिक (भूगोल, रसायन शास्त्र, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गृह विज्ञान, गणित) की प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी के लिए कक्षाएं 17 फरवरी से प्रारम्भ की गई हैं।

संत शिरोमणि श्रीश्री 1008 अवधेश दास जी महाराज का सिविल लाइन में स्वागत व अभिनंदन



जयपुर (मृदुल पत्रिका)। प्रयागराज महोत्सव में संत शिरोमणि श्रीश्री 1008 अवधेश दास जी महाराज को जगतगुरु दिवाकर द्वारचाराय बनने पर सिविल लाइन में बड़ी धूमधाम के साथ स्वागत व अभिनंदन किया गया। इस मौके पर विधायक गोपाल शर्मा, पार्थद राहुल शर्मा, राजेश कुमारवत, व्यापार मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह प्रणयपुर, नवीन शर्मा, प्रेमप्रकाश शर्मा, गिराज शर्मा, दिनेश सैनी, सुरेन्द्रसिंह, आमोद, विद्युत अध्यक्ष हरीश शर्मा व काफी सख्या में साधु-संत, समस्त भक्त व क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

आंधी महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण मिलेगा



कवाएँ जाये प्रशिक्षण मिलने से छात्रों के पास रोजगार के अवसर बनेंगे। प्रशिक्षण के उपरांत प्रशिक्षण प्राप्त विद्यार्थियों को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्राचार्या विनिता शर्मा ने बताया कि यह संस्था एवं महाविद्यालय प्रबंधन के मध्य हुआ यह एमओयू अगले पांच वर्षों के लिए किया गया है। इस अवसर पर राजकीय महाविद्यालय का स्टॉफ और जिनियस फाउंडेशन का रटोफ अध्यक्ष अमित कुमार तिवारी और चौधरी सूरजमल गटाला फाउंडेशन के सचिव रामवतार गटाला आदि उपस्थित रहे।

अलवर ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए जूली ने भिजवाए बजट प्रस्ताव सरकार बाबा भर्तृहरि कॉरिडोर बनाए जाने की करे घोषणा: टीकाराम जूली



की महत्ता को देखते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नाथ सम्प्रदाय के विरलविच्छात धार्मिक आस्था के केन्द्र बाबा भर्तृहरि कॉरिडोर बनाये जाने की घोषणा किये जाने के साथ ही पंचायत समिति उमरगेण के ग्राम धौलीधूब स्थित बाबा लाल दासजी मन्दिर का जीर्णोद्धार (पुनर्निर्माण) तथा ग्राम ढहलावास में स्थित गरवा जी महाराज मन्दिर का जीर्णोद्धार (पुनर्निर्माण) किये जाने की मांग की है। प्रतिपक्ष के नेता जूली ने बताया कि उन्होंने लोक देवता महाराजा भर्तृहरि के समाधि स्थल पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने की दृष्टि से पंचायत समिति मालाखेड़ा की ग्राम पंचायत माधोदा के ग्राम ईन्दोक में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किये जाने के लिये मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। जूली ने बताया कि उन्होंने इस बजट घोषणा में शामिल किये जाने हेतु सावडी से मुहुआ खुर्द और चांदोली से पडीसल सड़कों के दोहराकरण के साथ ही अलवर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में 100 किलोमीटर सड़कों के दोहराकरण के निर्माण की स्वीकृति की भी मांग की है।

एस एंजिटेक लिमिटेड
सीआईएन: -1.72100RJ1991P.LC006220
(पूर्व में प्रेम सोमानी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड)
(कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्गमित)
पंजीकृत कार्यालय: फ्लैट नं. 408, द्वितीय तल, आनंद चेंबर, बाबा हरिहरचंद मार्ग, रावसर प्लाजा, इंदिरा बाजार, जयपुर-302001, राजस्थान संपर्क नं. 9322666532,
ईमेल आईडी: accengitechlimited@gmail.com
वेबसाइट: https://www.accengitech.com
पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग सुचना की सूचना
मदनों को सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 और 110 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, के अनुसार कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के नियम 20 और 22 और अधिनियम और नियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, 19 फरवरी 2024 का वार्षिक वित्तीय संख्या 09/2024 और वार्षिक मालिकों के महासभा द्वारा संभव में जारी वाले परिषद ('परिषद') और वार्षिक प्रतिवेदन और वित्तीय बरेंड (सूचकांक) दर्शन और प्रकटीकरण आवश्यकता) अधिनियम, 2015 ('सेबी एनओडीआर अधिनियम') के नियम 44 को संशोधन संख्या के साथ पढ़ें। निम्नलिखित सूचनाएं सूचीबद्ध की गई हैं: (1) 'अधिनियम' के नियम 20 और 22, (2) 'परिषद' के नियम 20 और 22, (3) 'नियम' के नियम 20 और 22, (4) 'अधिनियम' के नियम 44, (5) 'अधिनियम' के नियम 44, (6) 'अधिनियम' के नियम 44, (7) 'अधिनियम' के नियम 44, (8) 'अधिनियम' के नियम 44, (9) 'अधिनियम' के नियम 44, (10) 'अधिनियम' के नियम 44, (11) 'अधिनियम' के नियम 44, (12) 'अधिनियम' के नियम 44, (13) 'अधिनियम' के नियम 44, (14) 'अधिनियम' के नियम 44, (15) 'अधिनियम' के नियम 44, (16) 'अधिनियम' के नियम 44, (17) 'अधिनियम' के नियम 44, (18) 'अधिनियम' के नियम 44, (19) 'अधिनियम' के नियम 44, (20) 'अधिनियम' के नियम 44, (21) 'अधिनियम' के नियम 44, (22) 'अधिनियम' के नियम 44, (23) 'अधिनियम' के नियम 44, (24) 'अधिनियम' के नियम 44, (25) 'अधिनियम' के नियम 44, (26) 'अधिनियम' के नियम 44, (27) 'अधिनियम' के नियम 44, (28) 'अधिनियम' के नियम 44, (29) 'अधिनियम' के नियम 44, (30) 'अधिनियम' के नियम 44, (31) 'अधिनियम' के नियम 44, (32) 'अधिनियम' के नियम 44, (33) 'अधिनियम' के नियम 44, (34) 'अधिनियम' के नियम 44, (35) 'अधिनियम' के नियम 44, (36) 'अधिनियम' के नियम 44, (37) 'अधिनियम' के नियम 44, (38) 'अधिनियम' के नियम 44, (39) 'अधिनियम' के नियम 44, (40) 'अधिनियम' के नियम 44, (41) 'अधिनियम' के नियम 44, (42) 'अधिनियम' के नियम 44, (43) 'अधिनियम' के नियम 44, (44) 'अधिनियम' के नियम 44, (45) 'अधिनियम' के नियम 44, (46) 'अधिनियम' के नियम 44, (47) 'अधिनियम' के नियम 44, (48) 'अधिनियम' के नियम 44, (49) 'अधिनियम' के नियम 44, (50) 'अधिनियम' के नियम 44, (51) 'अधिनियम' के नियम 44, (52) 'अधिनियम' के नियम 44, (53) 'अधिनियम' के नियम 44, (54) 'अधिनियम' के नियम 44, (55) 'अधिनियम' के नियम 44, (56) 'अधिनियम' के नियम 44, (57) 'अधिनियम' के नियम 44, (58) 'अधिनियम' के नियम 44, (59) 'अधिनियम' के नियम 44, (60) 'अधिनियम' के नियम 44, (61) 'अधिनियम' के नियम 44, (62) 'अधिनियम' के नियम 44, (63) 'अधिनियम' के नियम 44, (64) 'अधिनियम' के नियम 44, (65) 'अधिनियम' के नियम 44, (66) 'अधिनियम' के नियम 44, (67) 'अधिनियम' के नियम 44, (68) 'अधिनियम' के नियम 44, (69) 'अधिनियम' के नियम 44, (70) 'अधिनियम' के नियम 44, (71) 'अधिनियम' के नियम 44, (72) 'अधिनियम' के नियम 44, (73) 'अधिनियम' के नियम 44, (74) 'अधिनियम' के नियम 44, (75) 'अधिनियम' के नियम 44, (76) 'अधिनियम' के नियम 44, (77) 'अधिनियम' के नियम 44, (78) 'अधिनियम' के नियम 44, (79) 'अधिनियम' के नियम 44, (80) 'अधिनियम' के नियम 44, (81) 'अधिनियम' के नियम 44, (82) 'अधिनियम' के नियम 44, (83) 'अधिनियम' के नियम 44, (84) 'अधिनियम' के नियम 44, (85) 'अधिनियम' के नियम 44, (86) 'अधिनियम' के नियम 44, (87) 'अधिनियम' के नियम 44, (88) 'अधिनियम' के नियम 44, (89) 'अधिनियम' के नियम 44, (90) 'अधिनियम' के नियम 44, (91) 'अधिनियम' के नियम 44, (92) 'अधिनियम' के नियम 44, (93) 'अधिनियम' के नियम 44, (94) 'अधिनियम' के नियम 44, (95) 'अधिनियम' के नियम 44, (96) 'अधिनियम' के नियम 44, (97) 'अधिनियम' के नियम 44, (98) 'अधिनियम' के नियम 44, (99) 'अधिनियम' के नियम 44, (100) 'अधिनियम' के नियम 44, (101) 'अधिनियम' के नियम 44, (102) 'अधिनियम' के नियम 44, (103) 'अधिनियम' के नियम 44, (104) 'अधिनियम' के नियम 44, (105) 'अधिनियम' के नियम 44, (106) 'अधिनियम' के नियम 44, (107) 'अधिनियम' के नियम 44, (108) 'अधिनियम' के नियम 44, (109) 'अधिनियम' के नियम 44, (110) 'अधिनियम' के नियम 44, (111) 'अधिनियम' के नियम 44, (112) 'अधिनियम' के नियम 44, (113) 'अधिनियम' के नियम 44, (114) 'अधिनियम' के नियम 44, (115) 'अधिनियम' के नियम 44, (116) 'अधिनियम' के नियम 44, (117) 'अधिनियम' के नियम 44, (118) 'अधिनियम' के नियम 44, (119) 'अधिनियम' के नियम 44, (120) 'अधिनियम' के नियम 44, (121) 'अधिनियम' के नियम 44, (122) 'अधिनियम' के नियम 44, (123) 'अधिनियम' के नियम 44, (124) 'अधिनियम' के नियम 44, (125) 'अधिनियम' के नियम 44, (126) 'अधिनियम' के नियम 44, (127) 'अधिनियम' के नियम 44, (128) 'अधिनियम' के नियम 44, (129) 'अधिनियम' के नियम 44, (130) 'अधिनियम' के नियम 44, (131) 'अधिनियम' के नियम 44, (132) 'अधिनियम' के नियम 44, (133) 'अधिनियम' के नियम 44, (134) 'अधिनियम' के नियम 44, (135) 'अधिनियम' के नियम 44, (136) 'अधिनियम' के नियम 44, (137) 'अधिनियम' के नियम 44, (138) 'अधिनियम' के नियम 44, (139) 'अधिनियम' के नियम 44, (140) 'अधिनियम' के नियम 44, (141) 'अधिनियम' के नियम 44, (142) 'अधिनियम' के नियम 44, (143) 'अधिनियम' के नियम 44, (144) 'अधिनियम' के नियम 44, (145) 'अधिनियम' के नियम 44, (146) 'अधिनियम' के नियम 44, (147) 'अधिनियम' के नियम 44, (148) 'अधिनियम' के नियम 44, (149) 'अधिनियम' के नियम 44, (150) 'अधिनियम' के नियम 44, (151) 'अधिनियम' के नियम 44, (152) 'अधिनियम' के नियम 44, (153) 'अधिनियम' के नियम 44, (154) 'अधिनियम' के नियम 44, (155) 'अधिनियम' के नियम 44, (156) 'अधिनियम' के नियम 44, (157) 'अधिनियम' के नियम 44, (158) 'अधिनियम' के नियम 44, (159) 'अधिनियम' के नियम 44, (160) 'अधिनियम' के नियम 44, (161) 'अधिनियम' के नियम 44, (162) 'अधिनियम' के नियम 44, (163) 'अधिनियम' के नियम 44, (164) 'अधिनियम' के नियम 44, (165) 'अधिनियम' के नियम 44, (166) 'अधिनियम' के नियम 44, (167) 'अधिनियम' के नियम 44, (168) 'अधिनियम' के नियम 44, (169) 'अधिनियम' के नियम 44, (170) 'अधिनियम' के नियम 44, (171) 'अधिनियम' के नियम 44, (172) 'अधिनियम' के नियम 44, (173) 'अधिनियम' के नियम 44, (174) 'अधिनियम' के नियम 44, (175) 'अधिनियम' के नियम 44, (176) 'अधिनियम' के नियम 44, (177) 'अधिनियम' के नियम 44, (178) 'अधिनियम' के नियम 44, (179) 'अधिनियम' के नियम 44, (180) 'अधिनियम' के नियम 44, (181) 'अधिनियम' के नियम 44, (182) 'अधिनियम' के नियम 44, (183) 'अधिनियम' के नियम 44, (184) 'अधिनियम' के नियम 44, (185) 'अधिनियम' के नियम 44, (186) 'अधिनियम' के नियम 44, (187) 'अधिनियम' के नियम 44, (188) 'अधिनियम' के नियम 44, (189) 'अधिनियम' के नियम 44, (190) 'अधिनियम' के नियम 44, (191) 'अधिनियम' के नियम 44, (192) 'अधिनियम' के नियम 44, (193) 'अधिनियम' के नियम 44, (194) 'अधिनियम' के नियम 44, (195) 'अधिनियम' के नियम 44, (196) 'अधिनियम' के नियम 44, (197) 'अधिनियम' के नियम 44, (198) 'अधिनियम' के नियम 44, (199) 'अधिनियम' के नियम 44, (200) 'अधिनियम' के नियम 44, (201) 'अधिनियम' के नियम 44, (202) 'अधिनियम' के नियम 44, (203) 'अधिनियम' के नियम 44, (204) 'अधिनियम' के नियम 44, (205) 'अधिनियम' के नियम 44, (206) 'अधिनियम' के नियम 44, (207) 'अधिनियम' के नियम 44, (208) 'अधिनियम' के नियम 44, (209) 'अधिनियम' के नियम 44, (210) 'अधिनियम' के नियम 44, (211) 'अधिनियम' के नियम 44, (212) 'अधिनियम' के नियम 44, (213) 'अधिनियम' के नियम 44, (214) 'अधिनियम' के नियम 44, (215) 'अधिनियम' के नियम 44, (216) 'अधिनियम' के नियम 44, (217) 'अधिनियम' के नियम 44, (218) 'अधिनियम' के नियम 44, (219) 'अधिनियम' के नियम 44, (220) 'अधिनियम' के नियम 44, (221) 'अधिनियम' के नियम 44, (222) 'अधिनियम' के नियम 44, (223) 'अधिनियम' के नियम 44, (224) 'अधिनियम' के नियम 44, (225) 'अधिनियम' के नियम 44, (226) 'अधिनियम' के नियम 44, (227) 'अधिनियम' के नियम 44, (228) 'अधिनियम' के नियम 44, (229) 'अधिनियम' के नियम 44, (230) 'अधिनियम' के नियम 44, (231) 'अधिनियम' के नियम 44, (232) 'अधिनियम' के नियम 44, (233) 'अधिनियम' के नियम 44, (234) 'अधिनियम' के नियम 44, (235) 'अधिनियम' के नियम 44, (236) 'अधिनियम' के नियम 44, (237) 'अधिनियम' के नियम 44, (238) 'अधिनियम' के नियम 44, (239) 'अधिनियम' के नियम 44, (240) 'अधिनियम' के नियम 44, (241) 'अधिनियम' के नियम 44, (242) 'अधिनियम' के नियम 44, (243) 'अधिनियम' के नियम 44, (244) 'अधिनियम' के नियम 44, (245) 'अधिनियम' के नियम 44, (246) 'अधिनियम' के नियम 44, (247) 'अधिनियम' के नियम 44, (248) 'अधिनियम' के नियम 44, (249) 'अधिनियम' के नियम 44, (250) 'अधिनियम' के नियम 44, (251) 'अधिनियम' के नियम 44, (252) 'अधिनियम' के नियम 44, (253) 'अधिनियम' के नियम 44, (254) 'अधिनियम' के नियम 44, (255) 'अधिनियम' के नियम 44, (256) 'अधिनियम' के नियम 44, (257) 'अधिनियम' के नियम 44, (258) 'अधिनियम' के नियम 44, (259) 'अधिनियम' के नियम 44, (260) 'अधिनियम' के नियम 44, (261) 'अधिनियम' के नियम 44, (262) 'अधिनियम' के नियम 44, (263) 'अधिनियम' के नियम 44, (264) 'अधिनियम' के नियम 44, (265) 'अधिनियम' के नियम 44, (266) 'अध